

AFSPA और पूर्वोत्तर

प्रलिस के लयः

सशस्त्र बल (वशष शक्तयऱँ) अधनलयऱ (AFSPA), 1958, राषुडरऱय ढानवाधकर आयुग (NHRC) ।


ढेनुस के लयः

सशस्त्र बल (वशष शक्तयऱँ) अधनलयऱ (AFSPA), 1958, उत्तर पूरुव वदरुह ।

चरुा ढें कुयँ?

हल ही ढें कुँदर सरुकर ने तऱन पूरुवुतर राजुयँ- असुढ, नगलँड और ढणपुर के हसऱसुँ ढें ललगु सशस्त्र बल (वशष शक्तयऱँ) अधनलयऱ, 1958 (AFSPA) कु आंशकु रूप से वलपस ले लयऱ है ।

- वर्तढान ढें AFSPA इन तऱन राजुयँ के सलथ-सलथ अरुणलचल पूरुदेश और जढुढु-कुशुढीर के कुऑ हसऱसुँ ढें ढी ललगु है ।



AFSPA

- AFSPA सशस्त्र बलुँ कु नरऱकुश शक्तयऱँ देतल है ।
 - उदलहरण के लयऱ यह उनुहें कलनुन कल उलुलंघन करने वलले यल हथयऱर और गुलल-बलरुद रखने वलले कऱसऱ ढी वुयकुतऱके खलललफुगुली चललने कु अनुढतऱ देतल है, ढले ही इससे उस वुयकुतऱ कु ढृतुयु हु ऑऑ ।
 - सलथ ही यह उनुहें "उचतऱ सँदेह" के आधलर पर वलरुड के बनल ही वुयकुतऱयऱँ कु गरऱफुतलर करने और परसऱर कु तलललशी लेने कु

शक्ति प्रदान करता है।

- **धारा 3 के तहत "अशांत" क्षेत्र** घोषित किये जाने के बाद इसे केंद्र या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य या उसके कुछ हिस्सों पर लगाया जा सकता है।
 - अधिनियम को वर्ष 1972 में संशोधित किया गया था, इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई थी।
 - वर्तमान में **केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA)** केवल नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिये AFSPA का वसितार करने हेतु समय-समय पर "अशांत क्षेत्र" अधिसूचना जारी करता है।
 - मणिपुर और असम के लिये अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है।
 - **त्रिपुरा ने वर्ष 2015 में अधिनियम को नरिस्त कर दिया** तथा मेघालय 27 वर्षों के लिये AFSPA के अधीन था, जब तक कि इसे **अप्रैल, 2018 से MHA** द्वारा नरिस्त नहीं कर दिया गया।

AFSPA के संदर्भ में राज्य सरकारों की भूमिका:

- **राज्य के साथ अनौपचारिक परामर्श:** अधिनियम केंद्र सरकार को AFSPA लगाने का नरिणय एकतरफा रूप से लेने का अधिकार देता है, यह कार्य आमतौर पर अनौपचारिक रूप से राज्य सरकार के इच्छा अनुरूप होता है।
 - राज्य सरकार की सफ़ारिश के बाद ही केंद्र इस पर नरिणय लेता है।
- **स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय:** अधिनियम सुरक्षा बलों को गोली चलाने की शक्ति प्रदान करता है, यह संदिग्ध को पूरव चेतावनी के बिना नहीं किया जा सकता है।
 - अधिनियम के मुताबिक संदिग्धों की **गरिफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर सुरक्षाबलों को उन्हें स्थानीय थाने को सौंपना** होता है।
 - इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों को **ज़िला प्रशासन के सहयोग से कार्य करना चाहिये**, न कि एक स्वतंत्र नक़ाय के रूप में।

AFSPA को वापस लेने का कारण तथा इसके प्रभाव:

- **वापसी:** AFSPA के तहत क्षेत्रों की सुरक्षा की स्थिति में सुधार भारत सरकार द्वारा उग्रवाद को समाप्त करने व उत्तर-पूरव में स्थायी शांति लाने के लिये लगातार किये गए प्रयासों और समझौतों के परिणामस्वरूप तेज़ी से विकास का परिणाम है।
 - उदाहरण के लिये नगालैंड में सभी प्रमुख समूह **एनएससीएन (आई-एम) और नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूह (NNPGs)** सरकार के साथ समझौते के अंतिम चरण में हैं।
- **प्रभाव:** पूरवोत्तर भारत में लगभग बीते 60 वर्षों से AFSPA अनवरत रूप से लागू है, जिससे पूरवोत्तर भारत के वासियों के बीच देश के शेष हिस्सों से अलगाव की भावना पैदा हो रही है।
 - मौजूदा हालिया कदम से इस क्षेत्र को असैन्य बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है; यह चौकियों के माध्यम से तलाशी और नविसियों की आवाजाही पर प्रतबंध को हटा देगा।

पूरवोत्तर भारत पर AFSPA लागू जाने का कारण:

- **नगा विद्रोह:** जब 1950 के दशक में 'नगा राष्ट्रीय परिषद' (NNC) की स्थापना के साथ नगा राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ तो असम पुलिस ने कथित तौर पर आंदोलन को दबाने के लिये बल प्रयोग किया।
 - जैसे ही नगालैंड में एक सशस्त्र आंदोलन ने जड़ें जमाई तो संसद में AFSPA पारित किया गया और बाद में इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया।
 - मणिपुर में भी इसे वर्ष 1958 में सेनापति, तामेंगलॉग और उखरुल के तीन नगा-बहुल ज़िलों में लगाया गया था, जहाँ NNC सक्रिय थी।
- **अलगाववादी और राष्ट्रवादी आंदोलन:** जैसे ही अन्य पूरवोत्तर राज्यों में अलगाववादी एवं राष्ट्रवादी आंदोलन होने लगे AFSPA का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा।

AFSPA के अलोकप्रिय होने के कारण:

- **अलगाव की भावना को बढ़ाना:** नगा राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं के अनुसार, बल प्रयोग और AFSPA के अनुचित प्रयोग ने नगा लोगों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ाया है।
- **कठोर कानून और फरजी मुठभेड़:** पूरवोत्तर राज्यों में हिसा की विभिन्न घटनाएँ दर्ज की गई हैं, क्योंकि AFSPA सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है।
 - वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक रटि याचिका में न्यायेत्तर हत्याओं के पीड़ितों के परिवारों ने आरोप लगाया था कि पुलिस द्वारा मई 1979 से मई 2012 तक राज्य में 1,528 फरजी मुठभेड़ों को अंजाम दिया गया था।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से छह मामलों की जाँच के लिये एक आयोग का गठन किया और आयोग ने सभी छह को फरजी मुठभेड़ पाया।
- **राज्य को दरकिनार करना:** ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ केंद्र सरकार ने राज्य को दरकिनार कर दिया है, जिसमें वर्ष 1972 में त्रिपुरा में AFSPA लागू करना भी शामिल है।

AFSPA को नरिस्त करने हेतु किये गए प्रयास:

- **इरोम शर्मला द्वारा वरिध:** वर्ष 2000 में सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मला ने भूख हड़ताल शुरू की जो मणिपुर में AFSPA के खिलाफ 16

वर्ष तक जारी रहेगी।

- **जस्टिस जीवन रेड्डी:** वर्ष 2004 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस जीवन रेड्डी के नेतृत्व में पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया था।
 - समिति ने AFSPA को नरिस्त करने की सफारिश की और इसे "अत्यधिक अवांछनीय" बताया, और माना कि यह कानून उत्पीड़न का प्रतीक बन गया है।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सफारिश:** बाद में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन सफारिशों का समर्थन किया।

आगे की राह

- सरकार और सुरक्षा बलों को सर्वोच्च न्यायालय, जीवन रेड्डी आयोग और [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग](#) (NHRC) द्वारा नरिधारित दिशा-नरिदेशों का पालन करना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/afspa-and-northeast>

